न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी	:	जगमोहन सिंह, RAS
अपील संख्या	:	68 / 2015 (2015 / 00015) बांसवाड़ा
पंजीयन दिनांक	:	28 / 03 / 2016

1. श्री हरिसिंह पिता शम्भुसिंह जी चारण निवासी हावडी तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
2. श्री मनोजसिंह पिता हरिसिंह चारण निवासी हावडी तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

............अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री रमिला पत्नी मानजी डामोर (भील) निवासी हावडी तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
2. तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा

.......रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थितः—

श्री खेमराज डांगी	:	अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री पी.सी. पालीवाल	:	अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ाके निर्णय दिनांक 31.07.2015

निर्णय

सत्यमेव जयते

दिनांक : 23.01.2019

Web Copy - Not Official

अपीलान्ट्स द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के निर्णय दिनांक 31—7—2015 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार है।

अपील में अंकित किया कि श्रीमती रमिला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 5.2.2006 व नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 19.11.2010 के विरूद्ध अपील तारीख 7.4.2014 को प्रस्तुत की गई है जो मयाद बाहर होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अन्दर मयाद शुमार करने में भारी विधिक भूल की है जबकि कथित

नामान्तरकरण की जानकारी श्रीमती रमिला को तारीख 5.2.2006 से ही थी, लेकिन रमिला द्वारा नामान्तरकरण नम्बर 31 तारीख 5.2.2006 की जानकारी दिनांक 20.3.2014 बताई गई है जो गलत है। मयाद कण्डोन हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है उसके साथ शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में देरी के समय को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं होते हुए भी अपील को मयाद में मानने में विधिक भूल की है। इसके अलावा नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 19.11.2010 को उपखण्ड अधिकारी की डिक्री के आधार पर खोला जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील मेन्टैनेबल नहीं होते हुए भी अपील दर्ज कर धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अपील को मयाद में शुमार करने मे भारी भूल की है। नामान्तरकरण संख्या 31 व नामान्तरकरण संख्या 57 दोनो अलग–अलग दिनांक यानि क्रमश 5.2.2006 एवं 19.11.2010 के आदेश से स्वीकृत किए गए है। दोनो आदेश अलग अलग है तथा दोनो आदेश की अलग–अलग अपीले करनी चाहिये थी। दो आदेश की एक अपील को नजरअंदाज कर कथित निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहकर कि नामान्तरकरण नम्बर 31 विक्रय पत्र से भिन्न खोला जाकर स्वीकृत किया गया है, गलत है बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि का विक्रय–पत्र में काटा–फांसी कर पटवारी हल्का से मिलकर गलत नामान्तरकरण खुलवाया है और चूंकि विक्रय–पत्र में कांटा–फांसी करने की जानकारी हो जाने से फर्जी किये गये इन्द्राज के डर से यह अपील प्रस्तुत की गई है व जब कथित विक्रय पत्र प्रस्तुत करने की बात सामने आई तो कह दिया कि विक्रय–पत्र गुम हो गया है। अपीलान्ट्स ने विक्रय–पत्र की नकल सब रजिस्ट्रार के यहां से निकलवाई जिसमें कोई काटा–फांसी नहीं है लेकिन श्रीमती रमिला ने असल विक्रय–पत्र में कांटा फांसी कर दी और काटा फांसी के आधार पर नामान्तरकरण नम्बर 31 पटवारी हल्का से मिलकर खुलवाया है व इस काटां फांसी की जानकारी हो जाने से इससे बचने के लिए अब यह अपील प्रस्तुत कर दी है व ऐसे फर्जीवाडे को दरगुजर कर अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण नम्बर 31 को निरस्त करने व नया नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश देने मे भारी विधिक भूल की है तथा नामान्तरकरण नम्बर 57 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल द्वारा पारित डिक्री की पालना में खोला जाकर स्वीकृत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया है। ऐसी अवस्था में जब तक डिक्री को निरस्त नहीं करा लेवे तब तक नामान्तरकरण की न तो अपील हो सकती है, न नामान्तरकरण को निरस्त ही किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कथित निर्णय पारित करने मे विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र में जो काटा–फांसी कर नामान्तरकरण में गलत कराये गये इन्द्राज को लिपिकीय त्रुटि मान दुरूस्त किया जाना उचित समझने मे भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नहीं किया है कि विवादित भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल द्वारा डिक्री पारित की गयी है व डिक्री की पालना में नामान्तरकरण नम्बर 57 खोला जाकर स्वीकृत किया गया है ऐसी अवस्था में डिक्री के पूर्व में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण नम्बर 31 को निरस्त करने में भूल की है। अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि नामान्तरकण श्रीमती रमिला ने खुलवाया। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल की डिक्री से नामान्तरकरण संख्या 57 खुला। माननीय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा में डिक्री से खुले नामान्तरकरण को निरस्त नहीं कर सकते है। दोनो नामान्तरकरण की एक अपील नहीं हो सकती है। विक्रय पत्र में कांटा–फांसी कर नामान्तरकरण खुलवाया है, जिसे लिपिकीय भूल मानकर दोनो नामान्तरकरण खारिज किये गये है, जो विधिक भूल है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अलग–अलग आदेश की एक अपील/निगरानी पोषणीय नहीं होने के संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2014(1) जीतसिंह बनाम गुरूदेव कौर भी प्रस्तुत किया गया।

रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो नामान्तकरण सिक्वेन्स में निरस्त कर दिये, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 31 खोला गया जबकि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण संख्या 57 उपखण्ड अधिकारी घाटोल द्वारा पारित डिक्री की पालना में खोला गया है। नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 5.2.2006 में लिपिकीय त्रुटि होने के कारण इसे दुरूस्त करना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा ने नामान्तरकरण को संशोधित करने के फलस्वरूप पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 57 भी प्रभावित होने से उसे भी संशोधित किया जाना उचित समझते हुए निर्णय दिनांक 31.7.2015 पारित किया है जो पूर्णरूप से विधि अनुकूल है।डिक्री में रमीला को पार्टी बनाया गया है। प्रकरण में पुत्र ने अपने पिता के विरूद्ध किया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस की समर्थन में नजीर 1— AIR 1994 SCP 853 & (2) DNJ 2006 SCP 934 प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के पारित निर्णय दिनांक 31—07—2015 में अंकित किया है कि मयाद बिन्दु 5 पर दिनांक 21.5.2015 को दोनो पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 22.5.2015 को अन्तर्गत 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये गये है, जो विधि अनुकूल है। श्रीमती रमीला के पक्ष में पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 3.12.2015 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 5.2.2006 को स्वीकृत किया गया, के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण विक्रय दस्तावेज से भिन्न है। विक्रय पत्र दिनांक 3.12.20105 अनुसार विक्रेता श्री हरिसिंह ने मौजा हावडी की आराजी नंबर 443 में रकबा 0.02 है. एवं आराजी नम्बर 444 में 0.46 है. भूमि का विक्रय क्रेता श्रीमती रमीला को किया है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 31 से आराजी नंबर 443 में रकबा 0.44 है. एवं आराजी नम्बर 444 में रकबा 0.04 है. क्रेता के नाम दर्ज हुआ है। यह लिपिकीय त्रुटि होने के कारण इसे दुरस्त किया जाना उचित समझते हुए नामान्तरकरण को संशोधित करने के फलस्वरूप पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 57 भी प्रभावित होता है इसलिये उसे भी संशोधित किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.7.2015 को नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 5.2.2006 एवं नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 19.11.2010 खारिज कर तहसीलदार घाटोल को विक्रय दस्तावेज दिनांक 3.12.2005 अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में नये सीरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश दिये।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अभिभाषक अपीलान्ट की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों तथा दस्तावेजों के अवलोकन एवं प्रस्तुत नजीरों से यह

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के उक्त निर्णय अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट, 1956 के अंतर्गत दिया गया है। निर्णय दिनांक 31.7.2015 में स्पष्ट रूप से विवेचना करते हुए विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 31 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल की डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 57 खोले गये है। नामान्तकरण संख्या 31 में लिपिकीय त्रुटि होने के कारण इसे दुरस्त किये जाने हेतु इस नामान्तरकरण को संशोधित करने के फलस्वरूप पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 57 भी प्रभावित होने से उसे भी संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस हेतु अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 5.2.2016 एवं नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 19.11.2010 खारिज किये जाकर तहसीलदार घाटोल को विक्रय दस्तावेज दिनांक 3.12.2005 के अनुसार नये सीरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करने के पारित आदेश उचित प्रतीत होते है। अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 31 में लिपिकीय भूल को काटा फांसी करना बताया है जबकि लिपिकीय भूल होना जाहिर होता है। इसी प्रकार पश्चात्वृती नामान्तरकरण संख्या 57 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल द्वारा पारित डिक्री की पालना में खोला जाकर स्वीकृत हुआ है जिसमें आराजी नम्बर 444 रकबा 0.74 है. का खोला गया है जबकि पूर्व के नामान्तरकरण संख्या 31 में आराजी नम्बर 444 में रकबा 0.04 है. ही था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा ने इस लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त किया जाना उचित समझते हुए पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 57 भी प्रभावित होने से इसे संशोधित किया जाना उपयुक्त माना है, जो कि विधि सम्मत है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अत अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(जगमोहन सिंह)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर